उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या–1280–कार्य/चौदह–पाकालि/2011–117के/2011 दिनांक: 22/11/2011

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 /समस्त विद्युत वितरण निगमों के निष्प्रयोज्य (Condemnable) कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का निस्तारण (Disposal) निम्नानुसार किया जाएगा।

(1) **निप्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु समिति का गठन :–**

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 के मुख्यालय स्तर पर कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रयोज्य घोषित करने हेतु समिति का गठन निम्नवत होगा:–

(1) मुख्य अभियंता (जानपद–पारेषण–द्वितीय) – अध्यक्ष
(2) महाप्रबन्धक(वित्त प्रशासन) – सदस्य
(3) मुख्य अभियंता(कम्प्यूटराइजेशन इकाई)/मुख्य अभियता (संचार एवं नियंत्रण) – सदस्य
(4) उप महानिदेशक, एन0आई0सी0 अथवा उनके द्वारा नामित प्रतीनिधि – सदस्य

विद्युत वितरण निगमों के स्तर पर कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रोज्य घोषित करने हेतु समिति का गठन निम्नवत होगा :–

(1) मुख्य अभियंता(सामग्री प्रबन्ध) – अध्यक्ष
(2) महाप्रबन्धक(वित्त) – सदस्य
(3) मुख्य अभियंता(तकनीकी) – सदस्य
(4) उप महानिदेशक, एन0आई0सी0 अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य

(2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/पारेषण/वितरण निगम द्वारा कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निष्प्रोज्य घोषित करने एवं सुगमतापूर्वक निस्तारण करने हेतु उनके प्रयोगार्थ निम्न गाईड लाइन होगी।

2.1 कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण की परिभाषा:–

कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण(ओ0एस0/अन्य यूटिलिटी साफ्टवेयर सहित) की परिधि में निम्न आईटम सम्मिलित होंगे :–

- सर्वर कम्प्यूटर
- डेस्कटाप कम्प्यूटर(पी0सी0)
- लेपटाप कम्प्यूटर
- डम्ब टर्मिनल(नोड कम्प्यूटर)
- डाटामैट्रिक्स/लेजर/इन्कजेट प्रिन्टर
- डॉक्यूमेन्ट स्कैनर
- ऑन लाइन/ऑफ लाइन यू0पी0एस0

- डाटा कम्प्यूनिकेशन उपकरण(हब, स्वीच एवं राउटर आदि)
- वाह्य ऐजेन्सी द्वारा विकसित पैकेज साफ्टवेयर
- निष्प्रयोज्य हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर से सम्बन्धित तकनीकी पुस्तके एवं मैनुअल

2.2 निष्प्रयोज्यता के आधार

कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों को निम्न आधार पर निष्प्रयोज्य घोषित किया जा सकेगा:–

क्र0सं0	निष्प्रयोज्यता का आधार	आधार की शर्ते
1	टेक्नीकली आबसोलीट (Technically obsolete)	हार्डवेयर: ▪ 6 वर्ष अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं ▪ कार्य योग्य नहीं है **एवं** ▪ अनुरक्षण सम्भव नहीं हो पा रहा है। **पैकेज साफ्टवेयर/बुक्स/मैनुअल** ▪ 12 वर्ष अवधि पूर्ण हो चुकी है एवं ▪ अपग्रेड योग्य नहीं है। **एवं** ▪ ओ0ई0एम0(कम्पनी बेन्डर) द्वारा सपोर्ट नहीं हो रहा है।
		अथवा
2.	बियोन्ड इकोनामिक रिपेयर (Beyond Economic Repair)	▪ उपकरण की वर्तमान वैल्यू(वार्षिक ह्रास मूल्य प्रतिवर्ष 40% की दर से) एवं उपयोग अवधि के सापेक्ष मरम्मत कास्ट अत्यधिक है **एवं** ▪ ऐसे प्रकरण में निष्प्रयोज्यता हेतु पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।
		अथवा
3.	नॉन–रिपेयरेबल (Non repairable) अन सर्विसेबुल (Unserviceable)	▪ कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण स्पेयर पार्ट की उपलब्धता न होने पर रिपेयर/सर्विस सम्भव नहीं हो पा रही है।
		अथवा
4	फिजिकली डैमेज्ड (Physically Damaged)	▪ कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण अग्नि अथवा मानवीय नियंत्रण से परे किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया हो तथा क्षति रिपेयर से परे हो **एवं** ▪ ऐसे प्रकरण में निष्प्रयोज्यता हेतु पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

23. निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरणों का अनुमोदन:–

निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरणों हेतु सम्बन्धित इकाई/ अनुभाग द्वारा अनुलग्नक–1 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार निष्प्रयोज्यता टिप्पणी तैयार की जायेगी, किन्तु उपरोक्त तालिका के बिन्दु संख्या–2.2(2) एवं 2.2(4) से सम्बन्धित प्रकरणों में टिप्पणी पर इकाई/अनुभाग के नियंत्रक अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा। निष्प्रयोज्यता टिप्पणी के सम्बन्ध में निष्प्रयोज्यता समिति द्वारा अनुलग्नक–2 (छायाप्रति संलग्न) पर निर्णय दिया जायेगा।

2.4 निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरणों का निस्तारण:-

कम्प्यूटर/ सहवर्ती उपकरण आदि को समिति द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित होने के उपरान्त, कारपोरेशन की अधिकृत/सम्बन्धित इकाई द्वारा वार्षिक ह्रास मूल्य प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत दर से आंकलित अवशेष मूल्य (Assessed Residual Value) के आधार पर, कारपोरेशन के प्रचलित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार टेण्डर, आक्शन अथवा स्क्रैप के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या-1280(1)-कार्य-चौदह/पाकालि/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/ लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ट्रांस्को-लखनऊ/ केस्को-कानपुर ।
2. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वितरण/वाणिज्य/वित्त, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
3. सलाहकार सम्बद्ध अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. कार्यकारी मुख्य अभियंता (आपरेशन) उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के सलाहकार, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन,लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण) उ0प्र0पा0का0लि0 ।
9. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), उ0प्र0 पा0का0लि0।
10. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
11. उप मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशा0)/वित्त उ0प्र0पा0का0लि0, ।
12. समस्त मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0 ।
13. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधीक्षण अभियंता(कम्प्यूटराईजेशन इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनके पत्रांक-1154/ क0इ0/पाकालि, दिनांक 21.10.2011 के संदर्भ में।
15. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 पा0का0लि0 ।
16. समस्त मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 पा0का0लि0।
17. कम्पनी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ ।
18. कम्पनी सचिव, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/ लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/ केस्को-कानपुर / ट्रांस्को-लखनऊ।

आज्ञा से,

22.11.11

(भारत भूषण गोयल)

उप सचिव (कार्य)

(निष्प्रयोज्यता समिति के प्रयोगार्थ)

(निष्प्रयोज्यता समिति द्वारा उपकरणों की निष्प्रयोज्यता हेतु प्रारूप)

निष्प्रयोज्यता टिप्पणी संदर्भ :–
दिनांक :–

आइटम नं0	कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण/उत्पाद का नाम एवं विवरण	मेक/माडल	निष्प्रयोज्यता का आधार				निष्प्रयोज्यता हेतु टिप्पाणी (हाँ/नहीं)
			टेकनिक्ली आबसोलीट (हाँ/नहीं)	बियोन्ड इकानोमिक रिपेयर (हाँ/नहीं)	अनसर्विसेबुल (हाँ/नहीं)	फिजिकली डेमेज्ड (हाँ/नहीं)	

निष्प्रयोज्यता सारॉश

प्रस्तावित आइटम की संख्या	
अनुमोदित आइटम की संख्या	
अस्वीकृत आइटम की संख्या	

Approved by:

Name :
Designation: महाप्रबन्धक(वित्त)
(सदस्य–निष्प्रयोज्यता समिति)

Name:
Designation: एन0आई0सी0 के प्रतिनिधि
(सदस्य–निष्प्रयोज्यता समिति)

Name:
Designation: मुख्य अभियंता(क0इ0)/(तक0)
(सदस्य–निष्प्रयोज्यता समिति)

Name :
Designation: मुख्य अभियंता(जा) /(सा0प्रा0)
(अध्यक्ष–निष्प्रयोज्यता समिति)

(अनुभाग/इकाई के प्रयोगार्थ)

(निष्प्रयोज्यता हेतु प्रस्तावित उपकरणों के विवरण का प्रारूप)

इकाई/ अनुभाग का नाम :– *दिनांक :–*

कारपोरेशन/ निगम कार्यालय का नामः–

आइटम नं0	कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरण/उत्पाद का नाम	प्लांट/इनवेन्टरी/ रिकार्ड रजिस्टर नं0	मेक/माडल/सीरियल नं0	क्रय वर्ष (वास्तविक/अनुमानित)	क्रय मूल्य	वर्तमान बुक वैल्यू /40% वार्षिक ह्रास	टिप्पणी

Name :
Designation: Draftsman/ Computer/JE etc.

(Account Holder)

Name:
Designation:

(Verifying officer)

Name:
Designation:

(Head of the Unit/Office)